

उत्तर प्रदेश शासन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1
संख्या - 91 / छिहत्तर-1-2020-50 सम/2008 टी0सी0-1
लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1739/अड़तीस-5 -2011-07 स्वजल 2011, दिनांक 18.10.2011 द्वारा राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया गया था। उक्त निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.10.2011 को एतद्वारा निरस्त करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति

1	प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3	मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।	सदस्य
4	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड।	सदस्य
5	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग।	सदस्य
6	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग।	सदस्य
7	केन्द्रीय/राजकीय तकनीकी संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञ।	सदस्य
8	मुख्य अभियन्ता, नियोजन, उत्तर प्रदेश जल निगम, मुख्यालय, लखनऊ।	सदस्य
9	यथावश्यकता अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य सदस्य।	सदस्य
10	अधिसूची निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।	सदस्य सचिव

2- प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक का आयोजन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कराया जायेगा एवं एजेण्डा नोट समस्त सम्बन्धितों को 15 दिन पूर्व भेजते हुए राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) की बैठक में भाग लेने हेतु प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित किया जाना इसलिए अनिवार्य होगा कि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव की जाँच, मत स्थिर करने, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी एवं आर्थिक जानकारी प्रदान करने एवं प्रतिनिधियों द्वारा एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में प्रतिभाग किया जा सके। राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- (1) सदस्य सचिव, उन योजनाओं के अनुमोदन के लिए एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक बुलाएंगे जो डी0डब्लू0एस0एम0 के अनुमोदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं-जैसे इट्रा इंटर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट्यूशन नेटवर्क, रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम, वाटर ग्रिड्स ट्रीटमेंट प्लांट्स आदि के जरिए बल्क वाटर ट्रांसफर।
- (2) सोर्स फाइंडिंग कमेटी द्वारा ऐसी योजनाओं, जिनमें योजना डिजाइन अवधि के लिए निर्धारित गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, के प्रस्तावों को एस0एल0एस0एस0सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

- (3) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सोर्स फाइंडिंग कमेटी के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
- (4) विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए शक्तियाँ प्रदत्त की हैं, जो जल जीवन मिशन हेतु अधिसूचित की जायेंगी।
- (5) राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) की वर्ष में न्यूनतम दो बार बैठक आहूत करते हुए नई परियोजनाओं के अनुमोदन के अतिरिक्त समिति द्वारा पहले अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, पूर्णता तथा चालू होने की स्थिति की समीक्षा की जायेगी।
- (6) समिति को प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता के बारे में वर्तमान जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्य/ कार्य निष्पादन की समीक्षा की जायेगी।
- (7) राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी अनुमोदित योजनाएँ वर्ष में आच्छादित बस्तियों के लेखा के लिए केन्द्रीय आन लाइन एम0आई0एस0 में प्रविष्ट कर दी जाय।


अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव

संख्या- 9। (1) / छिहत्तर-1-2020-50 सम / 2008 टी0सी0-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रधान निजी सचिव, गा0 मंत्री जी जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4 मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5 समिति के समस्त सदस्यगण।
- 6 प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 लखनऊ।
- 8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

~